जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 /10045/ 2026 दिनांकः 22 जून, 2026

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा निदेशक शैक्षणिक, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया परिसर एवं सम्बद्ध समस्त **राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों** के प्राचार्यों को संसूचित किया जाता है कि **राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याः ई–3964 / जी0एस0 / 2026, दिनांकः 17.06.2026 (संलग्न)** के अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

(एस0एल0पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. माननीय कुलपति जी।
2. निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर।
3. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को तद्नुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहाताल, जिला–बलिया,उ0प्र0, पिनकोडः–277301
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code- 277301
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

Registrar
For n/a.
19/06/2026

माननीय कुलाधिपति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, के अध्यक्ष स्थान पर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ जन भवन, लखनऊ में समीक्षा बैठकें

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 से 21 मई, 2026 के दौरान माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, क अध्यक्ष स्थान पर प्रदेश के 11 स्टैण्ड एलोन विश्वविद्यालयों के कुलपति एव अधिकारियों, 18 एफिलिएटिंग विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदान प्राप्त 531 महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ जन भवन, लखनऊ में समीक्षा बैठक आहूत की गयी। इन बैठकों में उच्च शिक्षा विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारीगण तथा जन भवन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उपरोक्त बैठकों में एकल विश्वविद्यालयों के फैकल्टी डीन, विभागाध्यक्षों तथा अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण किये थे, इसी तरह से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने पावर प्वांइट प्रस्तुतीकरण किया था। समीक्षा बैठकों में माननीय कुलाधिपति जी ने विभिन्न विषयों पर निर्देश प्रदान किये थे। माननीय महोदया जी ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने हेतु सुझाव एवं दिशा निर्देश प्रदान किये जो निम्नवत् है:–

- जिन विश्वविद्यालयों में नैक मूल्यांकन बाकी है उन्हें शीघ्र ही बेसिक नैक मूल्यांकन शुरू होते ही नैक परिषद में अपना रिपोर्ट सम्पूर्ण तैयारी के साथ प्रस्तुत कर देना चाहिये। जिन महाविद्यालयों ने अद्यतन नैक मूल्यांकन नहीं करवाया है अथवा पांच वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है ऐसे महाविद्यालयों को शासन का मार्गदर्शन प्राप्त कर पूरी तैयारी के साथ में नैक मूल्यांकन करवाना चाहिये।
- जिन विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पूर्व में नैक ग्रेड प्राप्त हो चुका है उन्हें नैक पीयर टीम द्वारा जो सुझाव/निर्देश दिये गये हैं उस पर पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करना चाहिये। जिससे आगामी मूल्यांकन में उच्चतर ग्रेड प्राप्त हो सके।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क तथा अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी उत्कृष्ट रैंक प्राप्त करने के लिये चरणबद्ध योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिये।
- विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी भर्ती आयोगों (शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों से सुसंगत) को ससमय अधियाचन प्रेषित करना चाहिए। निर्धारित समय–सीमा में चयन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु भी निर्देशित किया जाना चाहिए।

19/6

Scanned with OKEN Scanner

- आगामी शैक्षणिक सत्र, जुलाई, 2026 से प्रारम्भ हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में यदि नये अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो इसका सीधा लाभ छात्रों की शैक्षिक गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही स्थानांतरण के समय ही गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति भी ससमय पूर्ण की जानी चाहिए।
- प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में, जिन विषयो मे कोई छात्र नहीं हैं, ऐसे विषयों को चिन्हित कर, उन महाविद्यालयो से, ऐसे विषयों के शिक्षकों को हटाकर (उसी विषय के) अधिक संख्या वाले महाविद्यालयों मे स्थानांतरित करना चाहिए।
- नवस्थापित महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम एक साथ संचालित नहीं करना चाहिए। छात्रों की मांग पर धीरे–धीरे पाठ्यक्रमो में वृद्धि करनी चाहिए।
- पुराने महाविद्यालयों में जिन विषयों में छात्र संख्या–50 से कम है, ऐसे महाविद्यालयों में वोकेशनल/स्किल डेवलपमेंट के कोर्स PPP (Public Private Partnership) मॉडल पर संचालित करने हेतु शासन से नीति निर्धारित करनी चाहिए अथवा उन्हें समाजसेवियों के माध्यम से संचालित किये जाने पर विचार करना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स (एआई), साइबर सिक्योरिटी, स्किल बेस्ड कोर्सेज, वोकेशनल, फोरेन्सिक साइंस, डिफेन्स, इसरो (ISRO) द्वारा संचालित शार्ट टर्म कोर्सेज, अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किये जाने चाहिये।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से संस्थाओं में लागू होना चाहिये। विश्वविद्यालयों को मेजर तथा माइनर डिग्री के लिये भी प्रावधान करना, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यापक तथा छात्र परिसर के निर्माण कार्यों का परीक्षण करें।
- समस्त महाविद्यालयों को ऐसे विषयों की समय–सारिणी अन्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के साथ मैपिंग/Synchronize कर साझा करनी चाहिए जिन विषयों के अध्यापक नहीं हैं, उन विषयों की कक्षायें संबंधित विश्वविद्यालयों एवं/अथवा अन्य समीपस्थ महाविद्यालयों से ऑनलाइन व्यवस्था किये जाने हेतु समय–सारिणी की मैपिंग/Synchronize समन्वय करते हुए कियान्वित की जानी चाहिए।
- राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों मे आउटसोर्सिंग के माध्यम से समूह–"घ" के कार्मिकों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त बजट की व्यवस्था शासन से की जानी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

- समीक्षा बैठक के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि प्रदेश में कई अनुदानित महाविद्यालयों में छात्र संख्या 05 हजार से 10 हजार तथा एक महाविद्यालय में तो छात्र संख्या–16 हजार से भी अधिक पायी गयी। उच्च शिक्षा विभाग को इस विषय का भी संज्ञान लेकर एक महाविद्यालय की अधिकतम छात्र संख्या निर्धारित करनी चाहिए।
- अनुदानित महाविद्यालयों में एक ही प्राचार्य जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, वह अलग–अलग स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों का भी संकलन एवं संचालन करते हैं। इस व्यवस्था पर भी उच्च शिक्षा विभाग को विचार करना चाहिए।
- बैठक के दौरान संज्ञान में आया है कि कॉमर्स संकाय में अलग–अलग कोर्स/विषय यथा एकाउन्टेन्सी, कॉमर्स/मैनेजमेण्ट, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, सांख्यिकी, मरकेन्टाइल लॉ जैसे पाठ्यक्र एक ही अध्यापक के द्वारा पढ़ाये जा रहे है जो विचारणीय विषय है।
- समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को अनिवार्य रूप से उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत 03 या 04 गांव गोद लेकर उनके काया कल्प के प्रयास करने चाहिये ।
- महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों हेतु रिसर्च पेपर, बुक चैप्टर, बुक पब्लिकेशन इत्यादि के कार्य प्रतिवर्ष करने हेतु अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- सभी महाविद्यालयों को अपने महाविद्यालय की मैगजीन आनलाइन/भौतिक रूप से प्रतिवर्ष प्रकाशित करनी चाहिये।
- समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अपने छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण पर वर्ष में 01 बार अवश्य ले जायें तथा भ्रमण के पश्चात छात्र–छात्राओं से भाषण, पेन्टिंग एवं निबन्ध लेखन के कार्य उनके शैक्षणिक भ्रमण के अनुभवों के आधार पर कराते हुये 01 या 02 पुस्तक का प्रकाशन कराना चाहिये।
- महाविद्यालयों के पास विभिन्न कार्यों हेतु कोष उपलब्ध कराने वाले फंडिंग एजेन्सियों की सूची होनी चाहिये तथा फन्डिंग एजेन्सियों से समन्वय कर अधिकाधिक विकासात्मक कार्यों हेतु फंड प्राप्त करने हेतु प्रयास करने चाहिये।
- पुरातन परिषद की बैठक आयोजित करते समय प्रत्येक पुरातन छात्र को 05–05 आवेदन पत्र अतिरिक्त प्रदान करना चाहिये ताकि वे अपने–अपने सहपाठियों को पुरातन परिषद से जोड़ सकें।
- संयुक्त प्रकाशन एवं संयुक्त शोध को बढ़ावा दिया जाय। पेटेन्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु शिक्षकों के सहायतार्थ शासन को फंड की व्यवस्था करना चाहिये।
- समस्त महाविद्यालय को सी.एस.आर. से फंडिंग प्राप्त करने हेतु शासन से प्रयास करना चाहिये।
- उच्च शिक्षा में ए.आई. का उपयोग कहाँ हो या कहाँ नही ताकि सृजनशीलता खत्म न हो। इसमे शासन स्तर पर विभाग के अधिकारियों एवं संबंधित मंत्रिगणों की एक

Scanned with OKEN Scanner

बैठक प्रतिवर्ष होनी चाहिये जिसमें यह निर्धारित किया जाय कि विभाग में इस वर्ष नया क्या क्या होना है।

- फीस स्ट्रक्चर पर विभाग में चर्चा की जानी चाहिये और छात्रनिधि को उपयोग करने हेतु प्राचार्य स्तर पर समिति बनाकर किया जाना चाहिये जिसमें शासन का कम से कम हस्तक्षेप हो।
- एम.एस.एम.ई. एवं विभिन्न उद्योग के विशेषज्ञो की सेवायें ली जायें। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्टार्ट–अप, इन्क्यूबेशन सेन्टर एव क्लस्टर लैब की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके।
- रोजगारपरक स्किल डेवलेपमेंट कोर्सों को यू.पी. स्किल डेवलेपमेंट मिशन, बीएफएसआई , नैपटेल के माध्यम से आरम्भ कराया जाय ताकि छात्र–छात्राओं को रोजगार मिल सके।
- शिक्षकों को अपना एच एवं साइटेशन इंडेक्स बढाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।
- जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन की तैयारी करने के लिये पिछले तीन साल का डाटा तैयार करना, छात्रों की सर्वांगीण विकास प्रवृत्तियों का अधिकतम आयोजन करना, सांस्कृति, साहित्यिक, खेल–कूद की प्रवृत्तियों के फोटोग्राफ को जब रिपोर्ट में दर्शाया जाता है ऐसे समस्त फोटोग्राफ एक्टिविटी बेस्ड हों जिनमें छात्र–छात्राओं, प्रतिभागियों के फोटो सामने से लिये जाने चाहिये। समस्त फोटोग्राफ कैप्शन सहित जियो टैगिंग होने चाहियें। स्पोर्टस के फोटोग्राफ में छात्र–छात्रा प्रतिभाग करते हुये एवं कुछ छात्र–छात्रा खिलाडियों का मनोबल बढ़ाते हुये प्रदर्शित करने चाहिये।
- समस्त महाविद्यालयों में ऐसे खेलों को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जिनमें न्यूनतम धनराशि व्यय होती है यथा कबड्डी, खो–खो, दौड, लम्बी कूद, ऊंची कूद, योग इत्यादि।
- समस्त महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं, कार्मिकों एवं अधिकारियों को खेलो इंडिया में भाग लेने के लिये अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- महाविद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के दृष्टिगत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 15 कि.मी. की परिधि में स्थित इंटर कालेजों के साथ भी करना चाहिये ताकि इंटर के छात्र महाविद्यालय के वातावरण से अच्छी तरह परिचित होकर वहाँ उच्च शिक्षा में अध्ययन करने के लिए प्रवेश लेने हेतु उत्सुक हो सके ।

Scanned with OKEN Scanner

- समस्त महाविद्यालयों को अपनी-अपनी टीमें अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजनी चाहिये तथा वहाँ से चयनित होने पर अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिये छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- समस्त महाविद्यालयों से प्रतिवर्ष क्रीडा मद में खरीदे जाने वाली सामग्री का विवरण निदेशालय को प्राप्त करना चाहिये तथा महाविद्यालय ने छात्र-छात्राओं की रूचि की क्रीडा सामग्री के क्रय हेतु यथावश्यक उपलब्ध संशाधनों के अनुपात में बजट आवंटित करना चाहिये।
- प्रत्येक महाविद्यालय में योग एक्टिविटी करानी चाहिये तथा जहाँ छात्र-छात्राएं योग प्रैक्टिस में उच्च मानक स्थापित करते हो उन महाविद्यालयों को इसे एक बेस्ट प्रैक्टिस बनाया जाना चाहिये।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को विभिन्न अवसरों पर पद यात्राएं/साइकिल यात्रा आयोजित कर छात्र-छात्राओं के अनुभवों को एक स्मारिका में प्रकाशित करना चाहिये तथा अच्छे अनुभवों को लिखने वाले छात्र-छात्राओ को पुरस्कृत करना चाहिये।
- जिन महाविद्यालयों में ओपन या इंडोर जिम बने हुये हैं उनका बेहतर उपयोग करने के लिये शिक्षण सत्र के प्रारम्भ में ही छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी करायना चाहिये तत्पश्चात उन्हे जिम मे न्यूनतम 01 घंटे अभ्यास करने के लिये प्रोत्साहित करते हुये 06 माह बाद उनका फिर से स्वास्थ्य परीक्षण कर यह देखना चाहिये कि जिम का उपयोग करने पर छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य मानकों में तुलनात्मक रूप से क्या सुधार हुआ है। इसका रिकार्ड भी संधारित करना चाहिये।
- छात्र--छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओ मे भाग लेने हेतु निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिये।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्रतिदिन न्यूनतम 01 घंटे पुस्तकालय में पुस्तको के माध्यम से एक साथ अध्ययन करना चाहिये ताकि अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके। पढे महाविद्यालय-बढ़े महाविद्यालय तथा पढे विश्वविद्यालय--बढ़े विश्वविद्यालय जैसे कार्यक्रम का अयोजन किया जाना चाहिए।
- पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन पुस्तकों, पाण्डुलिपियों को डिजिटिली स्कैन कराते हुये उन्हें अलग सेक्शन में प्रदर्शित करना चाहिये तथा छात्र-छात्राओं को उन्हें पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner

- ज्ञान भारत में एक डिजिटल मंच है, जिसे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और उनके पारंपरिक ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना है। यह पोर्टल लगभग 01 करोड़ प्राचीन हस्तलिपियों को डिजिटाइज करने और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है. यह भारतीय संस्कृति और साहित्य के पुनर्जागरण का प्रतीक है, जो संरक्षण, नवाचार, परिवर्धन और अनुकूलन पर आधारित है इस हेतु सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश के नोडल एजेंसी बनाया गया है। सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को महामहिम द्वारा पाण्डुलिपियों को संरक्षित रखने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।
- समस्त महाविद्यालयों को वन नेशन वन सबसक्रिप्शन (ओएनओएस) एवं इनफिलबनेट (INFLIBNET) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी कुलपतियों को निर्देशित किये जाने पर बल दिया।
- समस्त महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में एक पुस्तक निर्गमन रजिस्टर रखा जाना चाहिये तथा छात्र–छात्राओं को पुस्तकें निर्गत करने के पश्चात यह भी आकलित करना चाहिये कि छात्र–छात्राओं ने उन पुस्तकों का अध्ययन किया अथवा नही। इस हेतु छात्र–छात्राओं से उस पुस्तक पर एक लेख लिखने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये। इस प्रकार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ लेखकों को एक पुस्तक का प्रकाशन कराये जाने की परम्परा रखना चाहिये।
- पुस्कालयों को डिजिटल लाइब्रेरी एवं ई–लाइब्रेरी में परिवर्तित कर उन्हें आधुनिक करने का प्रयास निरन्तर करना चाहिये।
- माननीय कुलाधिपति महोदया जी ने समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण को निर्देश दिया कि अपने–अपने कैम्पसों में मियाबाकी तकनीक से सघन वृक्षारोपण किया जाये। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम लगाये जाने हेतु समस्त छात्र–छात्राओं को निर्देशित करने हेतु निदेशित किया।
- विश्वविद्यलयों/महाविद्यालयों में सोलर सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाये साथ ही एल.ई.डी. बल्ब का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाये।
- ग्रीन ऑडिट, जीरो पॉल्यूशन तथा अन्य सर्टिफिकेट हेतु संस्थाओं को प्रयत्नशील रहना चाहिये। परिसर में वाटर हार्वेस्टिंग/वॉटर बॉडीज की भी व्यवस्था रखनी चाहिये।
- बैठक के दौरान माननीय कुलाधिपति महोदया जी ने जिन महाविद्यालयों में छात्रावास तथा प्राचार्य के आवास बिना उपयोग के पड़े हैं उन्हें मरम्मत कार्य करवाकर शैक्षणिक उपयोग में लाना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner

- हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह आवाहन किया गया है कि देश में ईंधन की बचत करने की आवश्यक्ता है जिसके क्रम में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को माननीय महोदया जी द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि वे भी अपने स्तर यथासम्भव प्रयास करें।

उपर्युक्त निर्देशों/सुझावों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
भा.प्र.से.(से.नि.)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)

पत्रांक -ई- 3964/जी०एस०, दिनांक 17/06/2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त सम्बन्धित कुंलपतिगण को इस आशय से कि वह अपने स्तर से सम्बन्धित राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय को निर्देश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ.प्र.।
6. निजी सचिव, मा. मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, उ.प्र. को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. निजी सचिव, मा. मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, उ.प्र. को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
भा.प्र.से.(से.नि.)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)

Scanned with OKEN Scanner